CHRONICLE
Nurturing Talent Since 1990

17 वर्ष UPSC
आईएएस मुख्य परीक्षा

लोक प्रशासन
प्रश्नोत्तर रूप में

2008-2024 अध्यायवार हल प्रश्न-पत्र

17 वर्ष (2008-2024)

आईएएस मुख्य परीक्षा अध्यायवार हल प्रश्न-पत्र

लोक प्रशासन

प्रश्नोत्तर रूप में

यह पुस्तक संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के वैकल्पिक विषय के साथ-साथ राज्य लोक सेवा आयोगों की मुख्य परीक्षाओं तथा अन्य समकक्ष प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु भी समान रूप से उपयोगी है।

- पुस्तक में प्रश्नों के उत्तर को मॉडल हल के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नों को हल करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि उत्तर सारगर्भित हों तथा पूछे गए प्रश्नों के अनुरूप हों।
- इस पुस्तक में प्रश्नों से संबंधित अन्य विशिष्ट जानकारियों को भी उत्तर में समाहित किया गया है, ताकि अभ्यर्थी इसका उपयोग न सिर्फ हल प्रश्न-पत्र के रूप में, बल्कि अध्ययन सामग्री के रूप में भी कर सकें।
- इस पुस्तक का उपयोग अभ्यर्थी अपनी उत्तर लेखन शैली में सुधार लाने तथा प्रश्नों की प्रवृत्ति व प्रकृति को समझने के लिए भी कर सकते हैं।

संपादकः एन. एन. ओझा

हलः क्रॉनिकल संपादकीय समूह

CHRONICLE

Nurturing Talent Since 1990

अनुक्रमणिका

- मुख्य परीक्षा 2024 लोक प्रशासन हल प्रश्न-पत्र-I 1-18
- मुख्य परीक्षा 2024 लोक प्रशासन हल प्रश्न-पत्र-II 19-36
- मुख्य परीक्षा 2023 लोक प्रशासन हल प्रश्न-पत्र-I 37-52
- मुख्य परीक्षा 2023 लोक प्रशासन हल प्रश्न-पत्र-II 53-68

प्रथम प्रश्न-पत्र

1. **लोक प्रशासनः परिचय** 1-18
   - लोक प्रशासन का अर्थ, विस्तार तथा महत्व, विल्सन के दृष्टिकोण से लोक प्रशासन, विषय का विकास तथा इसकी वर्तमान स्थिति, नया लोक प्रशासन, लोक विकल्प उपागम, उदारीकरण की चुनौतियां, निजीकरण, भूमंडलीकरण; अच्छा अभिशासन : अवधारणा तथा अनुप्रयोग, नया लोक प्रबंध।

2. **प्रशासनिक विचार** 19-65
   - वैज्ञानिक प्रबंध और वैज्ञानिक प्रबंध आन्दोलन, क्लासिकी सिद्वांत, वेबर का नौकरशाही मॉडल, उसकी आलोचना और वेबर पश्चात् का विकास, गतिशील प्रशासन (मैरी पार्कर फॉले), मानव संबंध स्कूल (एल्टोन मेयो तथा अन्य), कार्यपालिका के कार्य (सीआई बर्नार्डे), साइमन निर्णयन सिद्धांत, भागीदारी प्रबंध (मैक ग्रेगर, आर. लिकर्ट, सी. आजीरिस)।

3. **प्रशासनिक व्यवहार** 66-76
   - निर्णयन प्रक्रिया एवं तकनीक, संचार, मनोबल, प्रेरणा, सिद्धांत-अंतर्वस्तु, प्रक्रिया एवं समकालीन; नेतृत्व सिद्धांत : पारंपरिक एवं आधुनिक।

4. **संगठन** 77-93
   - सिद्धांत-प्रणाली, प्रासंगिकता; संरचना एवं रूप : मंत्रालय तथा विभाग, निगम, कंपनियां, बोर्ड तथा आयोग-तदर्थ तथा परामर्शदाता निकाय मुख्यालय तथा क्षेत्रीय संबंध, नियामक प्राधिकारी; लोक-निजी भागीदारी।

5. **जवाबदेही और नियंत्रण** 94-104
   - उत्तरदायित्व और नियंत्रण की संकल्पनाएं, प्रशासन पर विधायी, कार्यकारी और न्यायिक नियंत्रण। नागरिक तथा प्रशासन; मीडिया की भूमिका, हित समूह, स्वैच्छिक संगठन, सिविल समाज, नागरिकों का अधिकार-पत्र (चार्टर), सूचना का अधिकार, सामाजिक लेखा परीक्षा।

6. **प्रशासनिक कानून** 105-110
   - अर्थ, विस्तार और महत्व, प्रशासनिक विधि पर Dicey, प्रत्यायोजित विधान-प्रशासनिक अधिकरण।

7. **तुलनात्मक लोक प्रशासन** 111-116
   - प्रशासनिक प्रणालियों पर प्रभाव डालने वाले ऐतिहासिक एवं समाज वैज्ञानिक कारक; विभिन्न देशों में प्रशासन एवं राजनीति; तुलनात्मक लोक प्रशासन की अद्यतन स्थिति; पारिस्थितिकी एवं प्रशासन, रिग्सियन मॉडल एवं उनके आलोचक।

8. **विकास गतिशीलता** 117-130
   - विकास की संकल्पना, विकास प्रशासन की बदलती परिच्छेदिका; विकास विरोधी अभिधारणा, नौकरशाही एवं विकास; शक्तिशाली राज्य बनाम बाजार विवाद; विकासशील देशों में प्रशासन पर उदारीकरण का प्रभाव; महिला एवं विकास, स्वयं सहायता समूह आंदोलन।

9. **कार्मिक प्रशासन** 131-145
   - मानव संसाधन विकास का महत्व, भर्ती प्रशिक्षण, जीविका विकास, हैसियत वर्गीकरण, अनुशासन, निष्पादन मूल्यांकन, पदोन्नति, वेतन तथा सेवा शर्तें, नियोक्ता-कर्मचारी संबंध, शिकायत निवारण क्रिया विधि, आचरण संहिता, प्रशासनिक आचार-नीति।

10. **सार्वजनिक नीति** 146-161
    - नीति निर्माण के मॉडल एवं उनके आलोचक; संप्रत्ययीकरण की प्रक्रियाएं, आयोजन; कार्यान्वयन, मॉनिटरिंग, मूल्यांकन एवं पुनरीक्षा एवं उनकी सीमाएं; राज्य सिद्धांत एवं लोकनीति सूत्रण।

11. **प्रशासनिक सुधार की तकनीक** 162-175
    - संगठन एवं पद्धति, कार्य अध्ययन एवं कार्य प्रबंधन; ई-गवर्नेस एवं सूचना प्रौद्योगिकी; प्रबंधन सहायता उपकरण जैसे कि नेटवर्क विश्लेषण, MIS, PERT, CPM

12. **वित्तीय प्रशासन** 176-194
    - वित्तीय तथा राजकोषीय नीतियां, लोक उधार ग्रहण तथा लोक ऋण। बजट प्रकार एवं रूप; बजट-प्रक्रिया, वित्तीय जवाबदेही, लेखा तथा लेखा परीक्षा।

द्वितीय प्रश्न-पत्र

1. **भारतीय प्रशासन का विकास** **195-202**
   ◆ कौटिल्य का अर्थशास्त्र; मुगल प्रशासन; राजनीति एवं प्रशासन में ब्रिटिश शासन का रिक्थ (Legacy)- लोक सेवाओं का भारतीयकरण, राजस्व प्रशासन, जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन।
2. **सरकार का दार्शनिक और संवैधानिक ढांचा** **203-214**
   ◆ प्रमुख विशेषताएं एवं मूल्य आधारिकाएं; संविधानवाद; राजनैतिक संस्कृति; नौकरशाही एवं लोकतंत्र; नौकरशाही एवं विकास।
3. **सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम** **215-222**
   ◆ आधुनिक भारत में सार्वजनिक क्षेत्र: सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के रूप; स्वायत्तता, जवाबदेही एवं नियंत्रण की समस्याएं; उदारीकरण एवं निजीकरण का प्रभाव।
4. **केंद्र सरकार और प्रशासन** **223-245**
   ◆ कार्यपालिका, संसद, विधायिका-संरचना, कार्य, कार्य प्रक्रियाएं; हाल की प्रवृत्तियां; अंतराशासकीय संबंध; कैबिनेट सचिवालय; प्रधानमंत्री कार्यालय; केन्द्रीय सचिवालय; मंत्रालय एवं विभाग; बोर्ड, आयोग, संबद्ध कार्यालय; क्षेत्र संगठन।
5. **योजनाएं और प्राथमिकताएं** **246-262**
   ◆ योजना मशीनरी, योजना आयोग एवं राष्ट्रीय विकास परिषद की भूमिका, रचना एवं कार्य, संकेतात्मक आयोजना, संघ एवं राज्य स्तरों पर योजना निर्माण प्रक्रिया, संविधान संशोधन (1992) एवं आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय हेतु विकेन्द्रीकरण आयोजना।
6. **राज्य सरकार और प्रशासन** **263-280**
   ◆ संघ-राज्य प्रशासनिक, विधायी एवं वित्तीय संबंध; वित्त आयोग भूमिका; राज्यपाल; मुख्यमंत्री; मंत्रिपरिषद; मुख्य सचिव; राज्य सचिवालय; निदेशालय।
7. **स्वतंत्रता के बाद जिला प्रशासन** **281-285**
   ◆ कलेक्टर की बदलती भूमिका, संघ-राज्य स्थानीय संबंध, विकास प्रबंध एवं विधि एवं अन्य प्रशासन के विध्यर्थ, जिला प्रशासन एवं लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण।
8. **नागरिक सेवाएं** **286-307**
   ◆ सांविधानिक स्थिति; संरचना, भर्ती, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण; सुशासन की पहल; आचरण संहिता एवं अनुशासन; कर्मचारी संघ; राजनीतिक अधिकार; शिकायत निवारण क्रियाविधि; सिविल सेवा की तटस्थता; सिविल सेवा सक्रियतावाद।
9. **वित्तीय प्रबंधन** **308-325**
   ◆ राजनीतिक उपकरण के रूप में बजट; लोक व्यय पर संसदीय नियंत्रण; मौद्रिक एवं राजकोषीय क्षेत्र में वित्त मंत्रालय की भूमिका; लेखाकरण तकनीक; लेखापरीक्षा; लेखा महानियंत्रक एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका।
10. **स्वतंत्रता के बाद से प्रशासनिक सुधार** **326-334**
    ◆ प्रमुख सरोकार; महत्वपूर्ण समितियां एवं आयोग; वित्तीय प्रबंध एवं मानव संसाधन विकास में हुए सुधार; कार्यान्वयन की समस्याएं।
11. **ग्रामीण विकास** **335-341**
    ◆ स्वतंत्रता के बाद से संस्थान एवं अभिकरण; ग्रामीण विकास कार्यक्रम; फोकस एवं कार्यनीतियां; विकेन्द्रीकरण पंचायती राज; 73वां संविधान संशोधन।
12. **शहरी स्थानीय सरकार** **342-353**
    ◆ नगरपालिका शासन : मुख्य विशेषताएं, संरचना वित्त एवं समस्या क्षेत्र, 74वां संविधान संशोधन; विश्वव्यापी स्थानीय विवाद; नया स्थानिकतावाद; विकास गतिकी; नगर प्रबंध के विशेष संदर्भ में राजनीति एवं प्रशासन।
13. **कानून और व्यवस्था प्रशासन** **354-367**
    ◆ ब्रिटिश रिक्थ; राष्ट्रीय पुलिस आयोग; जांच अभिकरण; विधि व्यवस्था बनाए रखने तथा उपप्लव एवं आतंकवाद का सामना करने में पैरामिलिटरी बलों समेत केन्द्रीय एवं राज्य अभिकरणों की भूमिका; राजनीति एवं प्रशासन का अपराधीकरण; पुलिस लोक संबंध; पुलिस में सुधार।
14. **भारतीय प्रशासन में महत्वपूर्ण मुद्दे** **368-382**
    ◆ लोक सेवा में मूल्य; नियामक आयोग; राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग; बहुदलीय शासन प्रणाली में प्रशासन की समस्याएं; नागरिक प्रशासन अंतराफलक; भ्रष्टाचार एवं प्रशासन; विपदा प्रबंधन।

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024
लोक प्रशासन
(प्रथम प्रश्न पत्र)

लोक प्रशासनः परिचय

प्रश्नःसुशासन शासकीय प्रक्रिया में आदर्शात्मक और मूल्यांकनात्मक विशेषताओं को जोड़ता है। टिप्पणी कीजिए।

उत्तरः सुशासन केवल प्रशासनिक दक्षता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आदर्शात्मक (मूल्य-आधारित) और मूल्यांकनात्मक (प्रदर्शन-आधारित) पहलू भी शामिल होते हैं, जो शासन में निष्पक्षता, समानता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। यह लोक प्रशासन के विचारकों द्वारा प्रतिपादित नैतिक सिद्धांतों, लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिक केंद्रित शासन पर आधारित है।

सुशासन की आदर्शात्मक विशेषताएं

- **पारदर्शिता और जवाबदेहीः** जॉन रॉल्स के "न्याय सिद्धांत" के अनुसार, सुशासन निर्णय-प्रक्रिया में निष्पक्षता और सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करता है।
  - उदाहरण के लिए, भारत में सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 पारदर्शिता बढ़ाता है और नागरिकों को अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने में सक्षम बनाता है।
- **कानून का शासनः** ए.वी. डाइसी के "रूल ऑफ लॉ" सिद्धांत के अनुसार, शासन को निष्पक्ष और कानूनन पूर्वानुमेय होना चाहिए।
  - उदाहरण के लिए, राजनीति के अपराधीकरण को समाप्त करने में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहल कानून के शासन को मजबूत करती है।
- **समानता और समावेशनः** अमर्त्य सेन के "क्षमता दृष्टिकोण" से प्रेरित होकर, सुशासन सभी को समान अवसर प्रदान करता है और न्याय व संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करता है।
  - उदाहरण के लिए, भारत में आकांक्षी जिला कार्यक्रम (Aspirational Districts Programme) पिछड़े क्षेत्रों में शासन सुधार कर समावेशी विकास को प्रोत्साहित करता है।

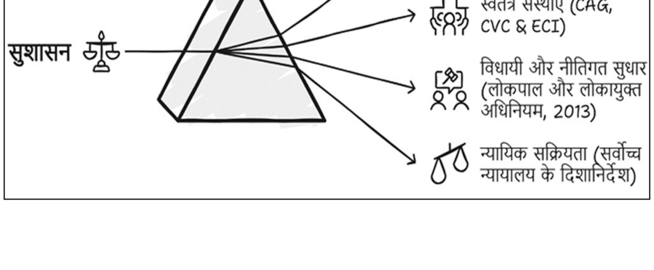

सुशासन की मूल्यांकनात्मक विशेषताएं

- **प्रभावशीलता और दक्षताः** फ्रेडरिक टेलर के "वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत" के अनुसार, सुशासन संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करता है।
  - उदाहरण के लिए, भारत में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली कल्याणकारी योजनाओं में लीकेज को कम कर प्रशासन की दक्षता बढ़ाती है।
- **उत्तरदायित्व (Responsiveness):** वुडरो विल्सन के "राजनीति-प्रशासन विभाजन सिद्धांत" के अनुसार, प्रशासन को नागरिकों की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।
  - उदाहरण के लिए, सिटिजन चार्टर सार्वजनिक कार्यालयों में सेवाओं की समयबद्धता सुनिश्चित कर सरकार की उत्तरदायित्व क्षमता बढ़ाता है।
- **सहभागी शासनः** ड्वाइट वाल्डो के "मानवतावादी लोक प्रशासन" दृष्टिकोण के अनुसार, सुशासन में नीति निर्माण में नागरिकों की भागीदारी आवश्यक है।
  - उदाहरण के लिए, भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण श्रमिकों को सशक्त कर सहभागी शासन को बढ़ावा देता है।

निष्कर्ष

सुशासन आदर्श मूल्यों और मूल्यांकन तंत्र को एकीकृत करता है ताकि शासन नैतिक, जवाबदेह और कुशल बना रहे। पारदर्शिता, समावेशन, दक्षता और जनभागीदारी को समाहित कर सुशासन एक लोकतांत्रिक और नागरिक-केंद्रित शासन मॉडल को प्रोत्साहित करता है, जिससे सार्वजनिक विश्वास और सामाजिक न्याय को बल मिलता है।

प्रश्नःराज्य के हस्तक्षेप और बाजार की स्वतंत्रता में संतुलन बनाना विकासशील देशों की आवश्यकता है। टिप्पणी कीजिए।

उत्तरः विकासशील देश आर्थिक विकास प्राप्त करने के साथ-साथ सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करने की चुनौती का सामना करते हैं। सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य हस्तक्षेप और बाजार स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाना अत्यंत आवश्यक है।

राज्य हस्तक्षेप की आवश्यकता

- **बाजार विफलताओं को सुधारनाः** बिना विनियमन के बाजार एकाधिकार, आय असमानता और संसाधनों के शोषण की ओर ले जाते हैं। राज्य हस्तक्षेप स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसी आवश्यक सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करता है।

- **सामाजिक न्याय और कल्याण:** सरकार गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन और आय के पुनर्वितरण पर ध्यान केंद्रित करके समावेशी विकास को बढ़ावा देती है।
- **व्यापक आर्थिक स्थिरता:** आर्थिक संकट के दौरान राज्य राजकोषीय नीतियों (fiscal policies), सब्सिडी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से स्थिरता बनाए रखता है।
- **जोखिमपूर्ण क्षेत्रों में निवेश:** अक्षय ऊर्जा और ग्रामीण विकास जैसे उच्च निवेश जोखिम वाले क्षेत्रों में, जहां निजी क्षेत्र रुचि नहीं लेते, सार्वजनिक निवेश दीर्घकालिक विकास और स्थिरता को प्रोत्साहित करता है।

बाजार स्वतंत्रता की भूमिका

- **प्रभावशीलता और नवाचार:** बाजार आधारित अर्थव्यवस्था प्रतिस्पर्धा, दक्षता और नवाचार को प्रोत्साहित करती है, जिससे नौकरशाही अक्षमताओं में कमी आती है।
- **विदेशी निवेश आकर्षित करना:** बाजार उदारीकरण (Liberalization) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को बढ़ावा देता है, जिससे आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं।
- **राजकोषीय बोझ कम करना:** अत्यधिक सरकारी नियंत्रण से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) में अक्षमता और बजट घाटा बढ़ता है। बाजार स्वतंत्रता से निजी उद्यम विकास को बढ़ावा मिलता है।

संतुलन बनाए रखनाः एक मिश्रित अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण

- रणनीतिक क्षेत्रों (रक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचा) में नियंत्रित राज्य हस्तक्षेप होना चाहिए।
- गैर-आवश्यक क्षेत्रों में उदारीकरण और विनियमन को हटाकर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) के माध्यम से बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सेवाओं में अंतर को कम किया जा सकता है।
- **मजबूत नियामक ढांचा:** मजबूत नियामक ढांचे (सेबी, ट्राई, आरबीआई) को निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देते हुए बाजार स्थिरता बनाए रखनी चाहिए।

निष्कर्ष

पूर्ण सरकारी नियंत्रण या पूर्ण बाजार स्वतंत्रता विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। राज्य हस्तक्षेप और बाजार-आधारित विकास को मिलाकर एक समन्वित मॉडल अपनाना आवश्यक है, ताकि आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय और सतत विकास प्राप्त किया जा सके।

प्रश्नःनया सार्वजनिक शासन, एक उभरता हुआ प्रतिमान, नवीन सार्वजनिक प्रबंधन के बाजार-आधारित दृष्टिकोण के विपरीत है। टिप्पणी कीजिए।

उत्तरः लोक प्रशासन समय के साथ विभिन्न प्रतिमानों से विकसित हुआ है, जिसमें **नया सार्वजनिक शासन** (New Public Governance - NPG) नवीन सार्वजनिक प्रबंधन (New Public Management - NPM) के बाजार-आधारित दृष्टिकोण के विकल्प के रूप में उभरा है। यद्यपि दोनों का उद्देश्य शासन की दक्षता बढ़ाना है, लेकिन उनके सिद्धांत, विधियां और दृष्टिकोण भिन्न हैं।

नवीन सार्वजनिक प्रबंधन (NPM): बाजार-आधारित दृष्टिकोण

1980 के दशक में नवउदारवादी (Neoliberal) विचारों से प्रभावित होकर उभरा यह दृष्टिकोण लोक प्रशासन को व्यापार के समान कुशल और प्रतिस्पर्धात्मक बनाने पर बल देता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं:

- **बाजार उन्मुखता (Market Orientation):** सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति निजीकरण, आउटसोर्सिंग और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से की जाती है।
- **प्रदर्शन प्रबंधन (Performance Management):** प्रक्रिया की बजाय परिणाम, मापन योग्य उपलब्धियां और दक्षता पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **विकेंद्रीकरण (Decentralisation):** सेवा वितरण में सुधार के लिए केंद्र सरकार से स्थानीय निकायों या निजी संस्थाओं को अधिकार सौंपता है।
- **ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण (Customer-Centric Approach):** नागरिकों को ग्राहक के रूप में देखा जाता है, जिसमें सेवा की गुणवत्ता और संतुष्टि पर बल दिया जाता है।

आलोचना

- शासन के अधिक व्यापारीकरण से सार्वजनिक कल्याण की उपेक्षा हो सकती है।
- यह सहभागी निर्णय-निर्माण (Collaborative Decision-Making) और सामाजिक नेटवर्क की भूमिका की अनदेखी करता है।

नया सार्वजनिक शासन (NPG): सहयोगात्मक दृष्टिकोण

21वीं सदी में उभरा यह प्रतिमान नवीन सार्वजनिक प्रबंधन (NPM) के केवल बाजार-आधारित दृष्टिकोण को अस्वीकार करता है और सहयोग, बहु-हितधारक शासन (Multi-Stakeholder Governance) तथा नागरिक भागीदारी पर बल देता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं:

- **नेटवर्क शासन (Network Governance):** सरकार, निजी संस्थाएं, गैर-सरकारी संगठन (NGOs) और नागरिक मिलकर नीतियां और सेवाएं तैयार करते हैं।
- **लोकतांत्रिक सहभागिता (Democratic Engagement):** नागरिकों को ग्राहक की बजाय भागीदार के रूप में देखा जाता है, जिससे सहभागी शासन (participatory governance) को प्रोत्साहन मिलता है।
- **सार्वजनिक मूल्य सृजन (Public Value Creation):** शासन का उद्देश्य केवल दक्षता नहीं, बल्कि दीर्घकालिक सामाजिक प्रभाव को अधिकतम करना है।
- **विश्वास और जवाबदेही (Trust and Accountability):** पारदर्शिता और नैतिक निर्णय-निर्माण पर बल देता है, न कि केवल बाजार-आधारित दक्षता पर।

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024

लोक प्रशासन

(द्वितीय प्रश्न पत्र)

भारतीय प्रशासन का विकास

प्रश्नः "लोक सेवाओं में नैतिकता कौटिल्य के अर्थशास्त्र का मुख्य सरोकार रहा है।" इस कथन का परीक्षण कीजिए।

उत्तरः कौटिल्य का अर्थशास्त्र (चौथी शताब्दी ईसा पूर्व) शासन व्यवस्था का एक प्रारंभिक ढांचा प्रदान करता है, जो नैतिक आचरण, जवाबदेही और लोक कल्याण पर विशेष बल देता है। उनकी अवधारणाएं आधुनिक लोक प्रशासन के लिए आज भी प्रासंगिक हैं। इस संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित हैं:

भ्रष्टाचार नियंत्रण और जवाबदेही

- कौटिल्य ने भ्रष्टाचार को प्रशासन की एक प्रमुख चुनौती के रूप में पहचाना और सख्त निरीक्षण, अंकेक्षण (ऑडिट) और कठोर दंड का समर्थन किया।
- उन्होंने भ्रष्टाचार की तुलना पानी में रहने वाली मछली से की, जो अनिवार्य रूप से कुछ पानी पी लेती है, इस प्रकार प्रशासनिक सतर्कता की आवश्यकता को उजागर किया।
- वर्तमान में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (1988) और लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम (2013) भ्रष्टाचार रोकने के लिए बनाए गए हैं, जो कौटिल्य की नीतियों से मेल खाते हैं।

योग्यता-आधारित नियुक्तियां

- कौटिल्य ने अधिकारियों की नियुक्ति में योग्यता को प्राथमिकता देने पर बल दिया और भाई-भतीजावाद का विरोध किया। उन्होंने अधिकारियों की ईमानदारी और क्षमताओं की सख्त जांच की सलाह दी।
- वर्तमान में, संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) की परीक्षाएं लोक सेवकों की योग्यता-आधारित भर्ती सुनिश्चित करती हैं।

न्याय और लोक कल्याण

- कौटिल्य ने **राजधर्म की अवधारणा** को महत्त्व दिया, जिसके तहत शासक और प्रशासकों का कर्तव्य न्याय और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना था। उन्होंने **कल्याणकारी नीतियों पर जोर** दिया, जो आज के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के समान हैं।
- उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) रोजगार सुरक्षा को बढ़ावा देता है, जो कौटिल्य की लोक-कल्याणकारी शासन नीति से प्रेरित प्रतीत होता है।

पारदर्शिता और जन निगरानी

- कौटिल्य ने प्रशासनिक पारदर्शिता बनाए रखने के लिए गुप्त अंकेक्षण (सीक्रेट ऑडिट) और निरीक्षणों की सिफारिश की।
- इसी सिद्धांत को आधुनिक पारदर्शिता तंत्रों में देखा जा सकता है, जैसे सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम (2005), जो सरकार की जवाबदेही को बढ़ाता है।

निष्कर्ष

कौटिल्य की नैतिक प्रशासन संबंधी अवधारणाएं आज भी प्रासंगिक हैं। पारदर्शिता, जवाबदेही और लोक कल्याण को सुदृढ़ करने वाली उनकी नीतियां आधुनिक शासन तंत्र में भी देखी जा सकती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि लोक सेवाओं में नैतिकता कौटिल्य के अर्थशास्त्र का मुख्य सरोकार रहा है।

प्रश्नः "मुगल प्रशासन स्वभाव से केन्द्रीकृत था।" विश्लेषण कीजिए।

उत्तरः मुगल प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत था, जहां सम्राट शासन की सभी प्रमुख गतिविधियों का सर्वोच्च नियंत्रक था। यद्यपि प्रशासनिक कार्य विभिन्न अधिकारियों को सौंपे गए थे, फिर भी अंतिम सत्ता सम्राट के हाथों में केंद्रित रहती थी।

सम्राट की पूर्ण सत्ता

- मुगल सम्राट राज्य, सेना और न्याय प्रणाली का प्रमुख था।
- नीतियों का निर्धारण, प्रशासनिक नियुक्तियां और राजस्व संग्रहण का अंतिम निर्णय सम्राट द्वारा लिया जाता था।
- **उदाहरणः** अकबर की मनसबदारी प्रणाली में सभी अधिकारियों की नियुक्ति और वेतन सम्राट द्वारा निर्धारित किए जाते थे, जो प्रशासनिक केंद्रीकरण को दर्शाता है।

नौकरशाही पर केंद्रीय नियंत्रण

- साम्राज्य को सूबों (प्रांतों) में विभाजित किया गया था, प्रत्येक की देखरेख के लिए एक सूबेदार नियुक्त किया जाता था।
- हालांकि, इन अधिकारियों की शक्तियां सम्राट के अधीन थीं और उन पर केंद्रीय शासन की कड़ी निगरानी रहती थी।
- **उदाहरणः** प्रत्येक प्रांत का दीवान (राजस्व अधिकारी) सीधे दिल्ली में स्थित केंद्रीय वित्त मंत्रालय को रिपोर्ट करता था, जिससे वित्तीय प्रशासन पर सम्राट का पूर्ण नियंत्रण बना रहता था।

राजस्व प्रणाली में केंद्रीकरण

- मुगलों की भूमि राजस्व व्यवस्था, विशेष रूप से अकबर द्वारा लागू जब्ती प्रणाली, केंद्रीय नियंत्रण को दर्शाती थी।

- करों की गणना और संग्रहण सम्राट द्वारा तय मानकों के आधार पर होता था।
- **उदाहरणः** आईन-ए-अकबरी में विस्तृत राजस्व आकलन का उल्लेख किया गया है, जो आर्थिक मामलों में सम्राट के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप को दर्शाता है।

सैन्य और न्यायिक केंद्रीकरण

- सम्राट के पास सैन्य नियुक्तियों और सेना के संचालन का पूरा नियंत्रण था।
- न्यायिक प्रणाली, जिसमें मुख्य काजी (मुख्य न्यायाधीश) भी शामिल था, सम्राट के आदेशों के अनुसार कार्य करता था।
- **उदाहरणः** औरंगजेब द्वारा कानूनों का सख्त अनुपालन और न्यायिक नियंत्रण इस केंद्रीकृत व्यवस्था का प्रमाण है।

निष्कर्ष

हालांकि मुगल प्रशासन में प्रांतीय संरचनाएं थीं, फिर भी सम्राट के पास अंतिम अधिकार सुरक्षित रहता था। यह केंद्रीकरण प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करता था, लेकिन इसके कारण कठोरता भी आई, जिसने आगे चलकर साम्राज्य की गिरावट में योगदान दिया।

सरकार का दार्शनिक एवं संवैधानिक ढांचा

प्रश्नः नौकरशाही अधिनायकवाद की अवधारणा गैर-लोकतांत्रिक सत्ता के सिद्धांतों में से एक है। समझाइए।

उत्तरः नौकरशाही अधिनायकवाद (Bureaucratic Authoritarianism) एक ऐसी शासन प्रणाली को संदर्भित करता है, जिसमें नौकरशाहों और तकनीकी विशेषज्ञों का अत्यधिक प्रभाव होता है, जिससे लोकतांत्रिक संस्थानों की भूमिका कमजोर हो जाती है। यह अवधारणा सबसे पहले **गुइलेर्मो ओ'डोनेल** ने लैटिन अमेरिकी सैन्य शासन के संदर्भ में दी थी, लेकिन भारत में भी नौकरशाही के अत्यधिक प्रभाव वाले उदाहरण देखे जा सकते हैं, जहां लोकतांत्रिक सिद्धांतों के स्थान पर प्रशासनिक तंत्र प्रभावी रहता है।

भारत में नौकरशाही अधिनायकवाद की विशेषताएं

- **आर्थिक नियोजन और लाइसेंस राज (1950-1980 के दशक):** समाजवादी आर्थिक नीति के दौरान योजना आयोग और नौकरशाहों का आर्थिक नीति निर्धारण पर अत्यधिक नियंत्रण था, जिससे उद्यमिता पर कई प्रतिबंध लगे। उदाहरण के लिए, लाइसेंस राज (1991 से पूर्व) के दौरान उद्योगों के लिए सरकार से कई प्रकार की अनुमति आवश्यक थी, जिससे भ्रष्टाचार और अक्षमता को बढ़ावा मिला।
- **विकेन्द्रीकरण का प्रतिरोधः** 73वें और 74वें संविधान संशोधन (1992) द्वारा स्थानीय शासन को सशक्त बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन नौकरशाही की निष्क्रियता के कारण प्रभावी सत्ता हस्तांतरण में बाधा आई। उदाहरण के लिए, पंचायती राज संस्थाएं (PRIs) अभी भी पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त करने में संघर्ष कर रही हैं, क्योंकि नौकरशाही का हस्तक्षेप उनके अधिकारों को सीमित करता है।
- **निर्णय लेने की केन्द्रीकरण प्रवृत्तिः** नौकरशाह प्रायः राजनीतिक कार्यपालिका के साथ मिलकर सत्ता का केन्द्रीकरण करते हैं, जिससे स्थानीय शासन और लोकतांत्रिक विमर्श की भूमिका सीमित हो जाती है। उदाहरण के लिए, आपातकाल (1975-77) के दौरान, सिविल सेवाओं ने प्रेस सेंसरशिप, निवारक हिरासत और जबरन नसबंदी जैसे कार्यों को लागू किया, जिससे कार्यपालिका की शक्ति बढ़ी और लोकतांत्रिक संस्थानों की अनदेखी हुई।
- **अध्यादेशों और कार्यकारी आदेशों का अत्यधिक उपयोगः** संसद की उचित समीक्षा को दरकिनार कर अध्यादेशों पर अत्यधिक निर्भरता नौकरशाही अधिनायकवाद का संकेत देती है। उदाहरण के लिए, कृषि कानून (2020) को पहले अध्यादेश के रूप में लागू किया गया और बाद में संसद से पारित किया गया, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में हितधारकों की भागीदारी पर प्रश्न उठे।
- **प्रतिनिधि संस्थाओं की कमजोरीः** जब निर्णय लेने में निर्वाचित प्रतिनिधियों की तुलना में नौकरशाहों को अधिक प्राथमिकता दी जाती है, तो लोकतांत्रिक जवाबदेही प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए, दिल्ली में उपराज्यपाल की भूमिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 2023 के निर्णय ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक सेवाओं पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण होगा; इस मामले ने निर्वाचित सरकार और नौकरशाही के बीच अधिकारों के संघर्ष को उजागर किया।
- **निगरानी तंत्र और प्रतिबंधात्मक नीतियांः** नौकरशाही अधिनायकवाद की प्रवृत्ति नागरिक स्वतंत्रता को सीमित करने वाले निगरानी तंत्र और कड़े कानूनों के माध्यम से भी प्रकट होती है। उदाहरण के लिए, गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) को लेकर आलोचना होती रही है कि यह नौकरशाहों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अत्यधिक विवेकाधिकार देता है, जिससे मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं।

निष्कर्ष

भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन जब नौकरशाही का अत्यधिक नियंत्रण लोकतांत्रिक मानदंडों को कमजोर करता है, तो नौकरशाही अधिनायकवाद की प्रवृत्ति उभरती है। प्रशासनिक दक्षता और लोकतांत्रिक जवाबदेही के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, जिसके लिए पारदर्शिता बढ़ाने, जनभागीदारी सुनिश्चित करने और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

प्रश्नः "सार्वजनिक उपक्रमों को स्वायत्तता एक मिथक है।" विश्लेषण कीजिए।

उत्तरः सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) की स्थापना आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और परिचालन स्वायत्तता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। हालांकि, वास्तविकता में इनकी स्वायत्तता अक्सर सरकार

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2023

लोक प्रशासन

(प्रथम प्रश्न-पत्र)

लोक प्रशासनः परिचय

प्र. भूमंडलीकृत युग में नागरिकों की जटिल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए लोक प्रशासन के क्षितिज का विस्तार हो रहा है। व्याख्या कीजिए।

उत्तरः वैश्वीकरण के वर्तमान युग में जटिल नागरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोक-प्रशासन का व्यापक विकास हुआ है। लोक-प्रशासन का यह विस्तार वैश्वीकरण, तकनीकी प्रगति और सामाजिक जटिलताओं का समाधान करने के क्रम में अनुकूलित एवं सहयोगात्मक शासन की अनिवार्यता को प्रदर्शित करता है।

- **वैश्वीकरण एवं अंतर्संयोजनात्मकताः** वैश्वीकरण के प्रभाव से विभिन्न देशों के मध्य निकटता एवं निर्भरता में वृद्धि हुई है। इसके कारण लोक-प्रशासन के क्षेत्र में राष्ट्र की सीमाओं के पार अनुकूलन एवं सहयोग की बढ़ती आवश्यकताओं को देखा जा सकता है। उदाहरण- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) जैसी संस्थाएं वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों के समाधान हेतु राष्ट्रीय सीमाओं से परे जाकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समन्वय एवं सहयोग कर रही हैं।
- **तकनीकी प्रगतिः** वैश्वीकरण के प्रभाव से तीव्र तकनीकी प्रगति देखने को मिल रही हैं। सतत रूप से होने वाली तकनीकी प्रगति ने लोक-प्रशासन के स्वरूप में बदलाव किया है। ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स एवं डिजिटल सेवा वितरण जैसी डिजिटल प्रशासनिक पहलों के कारण नागरिक दक्षता एवं पहुंच में वृद्धि हुई है। उदाहरण- भारत की 'आधार प्रणाली' पहचान सत्यापन तथा सेवाओं के वितरण में क्रांतिकारी पहल सिद्ध हुई है।
- **मुद्दों की जटिलताः** वैश्वीकरण एवं तकनीकी प्रगति से अधिक जटिल एवं बहुआयामी सामाजिक मुद्दे उभर कर सामने आए हैं। जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा, तथा सामाजिक-आर्थिक असमानता जैसी चुनौतियां इन चुनौतियों के प्रमुख उदाहरण हैं। जटिल सामाजिक मुद्दों के के समाधान हेतु नवीनीकृत नीतियों एवं सहयोगात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। उदाहरण- सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) का निर्धारण इसी प्रकार की बहु-आयामी चुनौतियों से निपटने के वैश्विक प्रयास को इंगित करता है।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP):** संसाधनों के कुशल उपयोग तथा विशेषज्ञता के अधिकतम लाभ हेतु सार्वजनिक-निजी क्षेत्रों के मध्य सहयोग में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी के बीच लोक प्रशासन का स्वरूप नियामक हो गया है। बुनियादी ढांचे के विकास के साथ स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के आधार पर लोक-प्रशासन के प्रभाव क्षेत्र में विस्तार देखा जा सकता है।
- **विकेंद्रीकरण और नागरिक भागीदारीः** राजनीतिक प्रतिबद्धता तथा तकनीकी प्रयासों के कारण लोक प्रशासन अधिक विकेंद्रित हुआ है तथा प्रशासन में नागरिकों की अधिक भागीदारी देखने को मिल रही है। स्थानीय सरकारें एवं समुदाय-आधारित संगठन स्थानीय स्तर पर लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उदाहरण- 'सहभागी बजट पहल' नागरिकों को सशक्त बनाकर प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करती है।

इस प्रकार वैश्वीकरण, प्रौद्योगिकी विकास तथा सामाजिक जटिलताओं के वर्तमान युग में चुनौतियों का स्वरूप बहु-आयामी हुआ है। इन चुनौतियों का समाधान करने के क्रम में लोक-प्रशासन ने अपने क्षितिज में विस्तार किया है।

प्र. मिन्नोब्रुक III ने लोक प्रशासन के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि पैदा करने में प्रयोगात्मक अनुसंधान के महत्व पर बल दिया और इस क्षेत्र में शिक्षा को विभिन्न क्षेत्रीय संदर्भों के अनुरूप बनाने की आवश्यकता को पहचाना। परीक्षण कीजिए।

उत्तरः 2008 में आयोजित ऐतिहासिक सम्मेलन मिनोब्रुक III में लोक प्रशासन के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि उत्पन्न करने में अनुभवजन्य अनुसंधान के महत्व को रेखांकित किया गया तथा इस क्षेत्र में शिक्षा को विविध क्षेत्रीय संदर्भों के अनुरूप बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। सम्मेलन में प्रतिपादित किए गए विचारों को वैश्विक स्तर पर लोक प्रशासकों के समक्ष उभरने वाली चुनौतियों और जटिलताओं की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा सकता है।

- मिनोब्रुक III सम्मेलन में विचार दिया गया कि लोक-प्रशासनिक शिक्षा को मानकीकृत नहीं किया जाना चाहिए; बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट सामाजिक-सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक संदर्भों को ध्यान में रखना चाहिए। उदाहरण- विकासशील देशों में प्रशासनिक संरचनाएं एवं क्षमताएं कमजोर होती हैं। इन देशों में शिक्षा का मौलिक ध्यान प्रशासनिक कौशल निर्माण, पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने के साथ भ्रष्टाचार से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने पर होना चाहिए।
- दूसरी तरफ, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में रणनीतिक प्रबंधन, नीतिगत विश्लेषण और कुशल सेवा वितरण के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ

उठाने पर जोर दिया जा सकता है। इस प्रकार, मिनोब्रुक III के विचारकों का मानना था कि प्रत्येक संदर्भ में लोक-प्रशासकों के समक्ष आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के क्रम में प्रासंगिकता एवं प्रभावशीलता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। साथ ही, इसी के अनुरूप शैक्षणिक पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक दृष्टिकोण अनुकूलित किया जाना चाहिए।

- मिनोब्रुक III सम्मेलन के अनुसार अनुभवजन्य अनुसंधान साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण एवं नीतियों के मूल्यांकन हेतु एक मजबूत आधार प्रदान करता है। अनुभवजन्य आंकड़ों के अध्ययन एवं परिणामों के विश्लेषण के आधार पर नीति-निर्माता सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करने के साथ नीतियों के प्रभाव का मूल्यांकन कर सकते हैं तथा लोक-प्रशासन में सुधार हेतु सूचित निर्णय ले सकते हैं।
- मिनोब्रुक III सम्मेलन में विभिन्न विद्वानों और विचारकों ने तर्क दिया कि अनुभवजन्य अनुसंधान सार्वजनिक प्रशासन की गतिशीलता को समझने तथा प्रभावी नीतियों एवं रणनीतियों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सम्मेलन में विभिन्न विचारकों द्वारा प्रस्तुत किए गए दृष्टिकोण हर्बर्ट साइमन और ड्वाइट वाल्डो जैसे प्रमुख लोक-प्रशासनिक विचारकों के विचारों से मेल खाते हैं।
- हर्बर्ट साइमन द्वारा प्रशासनिक प्रक्रियाओं एवं निर्णय निर्माण की दिशा में अध्ययन हेतु अनुभवजन्य अनुसंधान के उपयोग की वकालत की गई है। उन्होंने बताया है कि केवल सैद्धांतिक मॉडलों पर निर्भर नहीं रहा जाना चाहिए बल्कि वास्तविक व्यवहार एवं परिणामों के अध्ययन को महत्व दिया जाना चाहिए। साइमन की 'सीमाबद्ध तर्कसंगतता' की अवधारणा यह मानती है कि निर्णय लेने वाले व्यक्ति संज्ञानात्मक सीमाओं के तहत कार्य करते हैं, और अनुभवजन्य अनुसंधान इन सीमाओं को समझने एवं निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सुधार करने में मदद करता है।
- इसी प्रकार, ड्वाइट वाल्डो द्वारा प्रशासनिक निर्णयों में प्रासंगिक कारकों पर विचार करने की आवश्यकता को महत्व दिया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि लोक-प्रशासन को सिद्धांतों के एक सार्वभौमिक समूह के रूप में नहीं देखा जा सकता है, बल्कि इसे विशिष्ट संदर्भों और वातावरणों के अनुसार अनुकूलित किया जाना चाहिए। वाल्डो के विचार लोक-प्रशासन में शिक्षा को विभिन्न क्षेत्रीय संदर्भों के अनुरूप बनाने, विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासकों के सामने आने वाली विविध चुनौतियों एवं आवश्यकताओं को पहचानने पर मिनोब्रुक III सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत किए गए विचारों से मेल खाते हैं।

इस प्रकार, मिनोब्रुक III सम्मेलन में लोक-प्रशासन में अनुभवजन्य अनुसंधान तथा तदनुरूप शिक्षा पर बल दिया गया जो प्रशासनिक जटिलताओं की सूक्ष्म समझ के विकास तथा शिक्षा को विविध क्षेत्रीय संदर्भों में अनुकूलित किए जाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। मिनोब्रुक III सम्मेलन में दिए गए विचारों को हर्बर्ट साइमन और ड्वाइट वाल्डो जैसे विद्वानों की अंतर्दृष्टि के साथ एकीकृत करके लोक-प्रशासन को एक गतिशील क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। ऐसा करने से समकालीन चुनौतियों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने में मदद मिल सकती है तथा कुशल वैश्विक प्रशासन का विकास किया जा सकता है।

प्रशासनिक विचार

प्र. विशिष्ट अभिप्राय में, कार्यक्षमता किसी संगठन की व्यवस्था में सन्तुलन बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रभावी प्रोत्साहन उपलब्ध कराने की क्षमता होती है। विश्लेषण कीजिए।

उत्तरः लोक प्रशासन में कार्यक्षमता, प्रणाली के भीतर संतुलन बनाए रखने के लिए पर्याप्त स्तर पर आकर्षक प्रोत्साहन प्रदान करने की संगठन की क्षमता पर आधारित होती है। कार्यक्षमता के विकास का अर्थ संसाधनों के कुशल उपयोग से परे जाकर एक ऐसे वातावरण के निर्माण से है, जहां प्रभावी प्रेरणाओं के आधार पर संगठनात्मक उद्देश्यों तथा कर्मचारियों की आवश्यकताओं को संगठन की कार्यप्रणाली के साथ संरेखित किया जा सके। कार्यक्षमता के इस मूलभूत विचार को प्रमुख विचारकों द्वारा भी मान्यता प्रदान की गई है।

- एफ. डब्ल्यू. टेलर के 'वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत' के तहत कार्यक्षमता को अधिकतम करने के लिए कार्यप्रणाली को अनुकूलित करने एवं प्रक्रियाओं को मानकीकृत करने पर जोर दिया गया है। टेलर द्वारा प्रतिपादित 'प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन' का विचार उत्पादकता मेट्रिक्स से संबंधित प्रभावी प्रोत्साहनों को प्रदर्शित करता है।
- वेबर का 'नौकरशाही सिद्धांत' स्पष्ट पदानुक्रम, औपचारिक नियमों तथा कर्मचारियों की विशेष भूमिकाओं के महत्व पर बल देता है। वेबर का विचार था कि कुशलता एवं कार्यक्षमता कर्मचारियों के बीच स्थिरता और प्रेरणा को बनाए रखकर करियर में प्रगति तथा रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
- साइमन का 'सीमित तर्कसंगतता सिद्धांत' स्वीकार करता है कि निर्णय लेने वालों की संज्ञानात्मक क्षमताएं सीमित होती हैं। इसलिए, कार्यक्षमता में वृद्धि हेतु कर्मचारियों को प्रेरणा के साथ उनकी क्षमताओं के अनुरूप प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए। ऐसा करने से कर्मचारी अपनी संज्ञानात्मक सीमाओं के भीतर तर्कसंगत विकल्पों के चुनाव में सक्षम हो सकेंगे।
- इसी प्रकार, ड्रकर का 'उद्देश्य द्वारा प्रबंधन' (Drucker's Management by Objectives) दृष्टिकोण लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने तथा उन्हें प्राप्त करने की दिशा में कर्मचारियों द्वारा किए गए प्रयासों को संरेखित करने पर केंद्रित है। 'ड्रकर' ने प्रतिपादित किया है कि कुशल संगठन कर्मचारियों के प्रदर्शन में वृद्धि एवं संतुलन को बनाए रखते हुए लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु बोनस जैसे प्रोत्साहनों का उपयोग करते हैं।

उपर्युक्त सिद्धांतों को वर्तमान सांगठनिक प्रथाओं के अवलोकन के आधार पर प्रमाणित किया जा सकता है। उदाहरण- अमेजॅन जैसी निजी कंपनियां कार्यक्षमता में वृद्धि हेतु स्टॉक विकल्प और करियर विकास जैसे प्रलोभनों का उपयोग करती हैं।

इसी प्रकार, सरकारी एजेंसियां कार्यक्षमता को बढ़ावा देने के लिए लक्ष्य निर्धारित करती है तथा कर्मचारियों को उचित प्रोत्साहन एवं सेवा वितरण लागत प्रदान करती हैं।

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2023

लोक प्रशासन

(द्वितीय प्रश्न-पत्र)

भारतीय प्रशासन का विकास

प्र. "कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्य एवं शासनकला पर एक सैद्धांतिक कृति है।" टिप्पणी कीजिए।

उत्तर : कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक व्यापक और व्यवस्थित ग्रंथ है जिसमें शासन कला के विभिन्न पहलुओं पर गहनता से चर्चा की गई है। यह शासन के सैद्धांतिक आधारों को बारीकी से रेखांकित करता है, तथा राज्य के कामकाज को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह राज्य की प्रकृति, शासक की भूमिका और शासन कला को दिशा देने वाले अंतर्निहित सिद्धांतों पर चर्चा करता है।

- कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने राज्य और समाज के बीच संबंधों को रेखांकित किया जो काफी हद तक "सामाजिक अनुबंध" सिद्धांत के अनुरूप था; इसने शासक और शासित के बीच आपसी समझौते पर जोर दिया। इसने मत्स्य न्याय (जंगल का कानून) को खारिज कर दिया और एक संगठित राज्य की आवश्यकता को रेखांकित किया जहां शक्तिशाली कमजोरों पर हावी न हों यानी "कानून का शासन" ही शासन का मूल आधार था।
- इसने राज्य में एक केंद्रीय व्यक्ति के रूप में राजा की भूमिका को चित्रित किया, राजा का मूल कर्तव्य "योगक्षेम" अर्थात नागरिकों का कल्याण होना चाहिए, राजा की खुशी उसके नागरिकों की खुशी में निहित है।
- इसके अलावा सप्तांग सिद्धांत में शासनकला की प्रकृति को बताया गया है, जिसमें राज्य बनाने वाले सात आवश्यक तत्व शामिल थे। इस संरचनात्मक ढांचे में (i) स्वामी, (ii) अमात्य, (iii) जनपद, (iv) दुर्ग, (v) कोष, (vi) दण्ड, तथा (vii) मित्र शामिल थे। इसने शासन के विभिन्न घटकों को समझने और व्यवस्थित करने के लिए एक व्यवस्थित मार्गदर्शिका प्रदान की।
- कौटिल्य के अर्थशास्त्र में "कानूनों के संहिताकरण" और पारंपरिक वर्णाश्रम-आधारित कानूनों का उपयोग नही करने की बात कही गई है, जिसमें कहा गया है कि राज्य को अपने स्वयं के कानून बनाने का अधिकार है।
- अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने सहयोगियों (मित्र) के महत्व को संबोधित किया, बाहरी गठबंधन बनाने से पहले आंतरिक तत्वों को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। यह कूटनीतिक रणनीतियों और भू-राजनीतिक विचारों की सूक्ष्म समझ को दर्शाता है।

इस प्रकार, कौटिल्य का अर्थशास्त्र अपने गहन विश्लेषण, नवीन कानूनी दृष्टिकोण, व्यवस्थित रूपरेखा, व्यावहारिक रणनीतियों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विचारों और राज्य की प्रकृति और कार्यप्रणाली की समझ के कारण शासनकला पर एक सैद्धांतिक रचना है।

सरकार का दार्शनिक और संवैधानिक ढांचा

प्र. आलोचक कभी-कभी तर्क करते हैं कि नौकरशाही राष्ट्र के विकास में बाधक होती है। विश्लेषण कीजिए।

उत्तर : वेबरियन मॉडल में निहित नौकरशाही को राष्ट्र के विकास के लिए अभिन्न माना जाता है, जो नीति कार्यान्वयन, संसाधन प्रबंधन और सार्वजनिक सेवा वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुशल और तर्कसंगत प्रशासन पर जोर देने वाला यह मॉडल परिभाषित भूमिकाओं और औपचारिक नियमों के साथ संरचित संगठन स्थापित करना चाहता है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य निर्णय लेने में पूर्वानुमान और सटीकता को बढ़ाना है, जो समग्र प्रशासनिक प्रभावशीलता में योगदान देता है।

- हालांकि, वास्तविकता अक्सर इसके विपरीत होती है, तथा ऐसी चुनौतियां सामने आती हैं जो मॉडल के आधारभूत मूल्यों के विपरीत प्रतीत होती हैं। पीटर ड्रकर का मानना है कि नौकरशाही का मॉडल सभी देशों में लागू नहीं किया जा सकता। यह सार्वभौमिक नहीं है। राबर्ट मर्टन के अनुसार नौकरशाही औपचारिकता पर बल देती है, जिससे इसमें कुशलता द्वितीयक हो जाती है। रिग्स महोदय के अनुसार वेबर की आदर्श प्रकार की नौकरशाही विकासशील समाज के लिए अनुपयुक्त है।

नौकरशाही से संबंधित कुछ प्रमुख चुनौतियां

- **लालफीताशाही:** नौकरशाही की अत्यधिक लालफीताशाही ने त्वरित निर्णय लेने और नीति कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न की है। बोझिल कागजी कार्रवाई और जटिल प्रक्रियाएं अकुशलता को बढ़ावा देती हैं, जो वेबरियन मॉडल द्वारा परिकल्पित सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं को बाधित करती हैं।
- **भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद:** नौकरशाही प्रणालियों के भीतर भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के कारण संसाधनों का अनुचित उपयोग किया जाता है, जिससे अकुशलता और असमानता को बढ़ावा मिलता है। प्रचलित रिश्वतखोरी, दलाली और पक्षपात तर्कसंगत और पारदर्शी प्रशासन की प्रतिबद्धता को कमजोर करते हैं।
- **नवाचार और अनुकूलनशीलता का अभाव:** कठोर पदानुक्रमिक संरचना और स्थापित प्रोटोकॉल का पालन करने के कारण नए विचारों और प्रौद्योगिकियों को अपनाने की प्रक्रिया बाधित होती है। यह विकासशील परिस्थितियों के लिए राष्ट्र की अनुकूलनशीलता को बाधित करता है।

- **अत्यधिक नौकरशाही नियंत्रण:** संभावित अत्यधिक नियंत्रण के परिणामस्वरूप सत्ता का अतिकेंद्रीकरण होता है। यह संकेन्द्रण स्थानीय पहलों को कमजोर करता है और जमीनी स्तर पर विकास को बाधित करता है, जिससे संतुलित और विकेंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर होती है।
- **अकुशलता और जरूरत से ज़्यादा कर्मचारी:** 4 मिलियन से ज़्यादा कर्मचारियों वाली भारत की नौकरशाही, जो दुनिया की सबसे बड़ी नौकरशाही में से एक है, संसाधनों के गलत आवंटन के लिए आलोचना का सामना करती है। जरूरत से ज्यादा कर्मचारियों की नियुक्ति से सार्वजनिक वित्त का नुकसान होता है, लेकिन आनुपातिक लाभ नहीं मिलता, जिससे कुशल सेवा वितरण और वांछित विकास परिणाम बाधित होते हैं।

इसलिए, भले ही वेबरियन नौकरशाही मॉडल कुशल प्रशासन के लिए एक आदर्श ढांचा प्रस्तुत करता है, लेकिन फिर भी नौकरशाही प्रथाओं को इसके मूल मूल्यों के साथ संरेखित करने और राष्ट्र के विकास में अधिक प्रभावी योगदान सुनिश्चित करने के लिए सुधारों की आवश्यकता हैं।

प्र. क्या आप सहमत हैं कि मंत्रियों के संवैधानिक और नैतिक आचरण के उच्च मानकों को कायम रखने के लिए नीति संहिता एवं आचार संहिता सहायक होंगी? व्याख्या कीजिए।

उत्तर : नैतिकता और आचरण संहिता दुनिया भर में सरकारी मंत्रियों के बीच स्पष्टता, जवाबदेही और ईमानदारी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये संहिताएं स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान करती हैं, हितों के टकराव का प्रबंधन करती हैं, पारदर्शिता को बढ़ावा देती हैं, संवैधानिक पालन को बनाए रखती हैं और जनता का विश्वास बढ़ाती हैं। इसलिए मंत्रियों के लिए नैतिकता और आचार संहिता को लागू करना वास्तव में उनके संवैधानिक और नैतिक आचरण के उच्च मानकों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ये संहिताएं मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में काम करती हैं जो अपेक्षित व्यवहार को परिभाषित करती हैं, पारदर्शिता को बढ़ावा देती हैं और मंत्रियों के बीच जवाबदेही सुनिश्चित करती हैं।

- **स्पष्टता और जवाबदेही:** नीति संहिता अपेक्षित व्यवहार, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान करती हैं, जिससे अस्पष्टता कम होती है और जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है।
- **हितों के टकराव का प्रबंधन :** ये संहिताएं संभावित हितों के टकरावों को प्रबंधित करने में मदद करती हैं।
- **ईमानदारी को बढ़ावा देना:** ईमानदारी और निष्पक्षता पर जोर देकर, ये संहिताएं सरकारी संस्थाओं में जनता के विश्वास को बढ़ावा देती हैं और भ्रष्टाचार या अनैतिक व्यवहार की घटनाओं को कम करती हैं।
- **पारदर्शिता और सार्वजनिक विश्वास:** नैतिकता और आचरण संहिता मंत्रियों के वित्तीय हितों, उपहारों और लॉबिस्टों के साथ संबंधों को उजागर करने में सहायक है तथा पारदर्शिता को बढ़ाती है, जिससे सरकार की ईमानदारी में जनता का विश्वास बढ़ता है।
- **संवैधानिक अनुपालन:** ये संहिताएं सुनिश्चित करती हैं कि मंत्री संवैधानिक सिद्धांतों और कानूनों का पालन करें, सत्ता के दुरुपयोग या कानूनी मानदंडों के उल्लंघन को रोकें।

निष्कर्ष रूप में, मंत्रियों के लिए नीति और आचार संहिता, संवैधानिक और नैतिक आचरण के उच्च मानकों को बनाए रखने, सरकारी संस्थाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही, निष्ठा और सार्वजनिक विश्वास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक उपकरण हैं।

केंद्र सरकार और प्रशासन

प्र. इक्यानवें सांविधानिक संशोधन अधिनियम ने केन्द्र तथा राज्य, दोनों स्तरों पर, मंत्रिपरिषद् के आकार को सफलतापूर्वक सही बना दिया है। टिप्पणी कीजिए।

उत्तर : भारत की संसदीय शासन प्रणाली में, मंत्रिपरिषद का आकार ऐतिहासिक रूप से राजनीतिक आवश्यकताओं के आधार पर विकसित हुआ है, विशेष रूप से गठबंधन सरकारों के दौरान या जब कोई स्पष्ट बहुमत मौजूद नहीं था। मंत्रियों की संख्या पर संवैधानिक सीमा की अनुपस्थिति ने प्रशासनिक दक्षता और जवाबदेही के संबंध में चिंताएं पैदा कीं, जिससे संविधान संशोधन की आवश्यकता हुई। भारत में 2003 के 91वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संघ और राज्य दोनों स्तरों पर मंत्रिपरिषद की संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया।

- इस संशोधन के माध्यम से मंत्रिमंडल का आकार 15% तक सीमित कर दिया गया, हालांकि, किसी भी कैबिनेट सदस्यों की संख्या 12 से कम नहीं होगी।
- इस संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची की धारा-3 को खत्म कर दिया गया, जिसमें प्रावधान था कि एक-तिहाई सदस्य एक साथ दल-बदल कर सकते थे।
- संसद या राज्य विधायिका के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित सदस्य यदि दल-बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जाता है तो वह सदस्य मंत्री बनने के लिए भी अयोग्य या निरर्हक होगा।
- संसद या राज्य विधानमंडलों के किसी भी सदन का किसी भी दल से संबंधित सदस्य, यदि दल-बदल के आधार पर अयोग्य करार दिया जाता है तो वह सदस्य लाभ के किसी राजनीतिक पद के लिए भी अयोग्य माना जाएगा।
- इस सुधार के माध्यम से राज्य मंत्रिपरिषदों के आकार पर समानांतर प्रतिबंध लगाए गए। इसने मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या को विधान सभा की कुल संख्या के 15% पर सीमित कर दिया।
- संशोधन ने मंत्रियों की संख्या को सीमित करके कार्यपालिका को सुव्यवस्थित किया, दक्षता सुनिश्चित की और साथ ही राज्य सरकारों पर प्रतिबंध लगाकर एकरूपता को बढ़ावा दिया, मंत्रियों के प्रसार को रोका। संशोधन के स्पष्ट संवैधानिक प्रावधानों ने पारदर्शिता और संवैधानिक सिद्धांतों के पालन को बढ़ाया।

इस प्रकार 91वां संविधान संशोधन अधिनियम मंत्रिपरिषद के आकार को सही करने में सफल रहा, तथा इसने ऐसे संवैधानिक प्रावधान प्रदान किए, जिससे भारत में संघ और राज्य दोनों स्तरों पर अधिक जवाबदेह, कुशल और सुव्यवस्थित कार्यपालिका की शुरुआत हुई। इस संशोधन से आकार प्रतिबंध, दक्षता, राजनीतिक स्थिरता, जवाबदेही, राज्यों में शासन संरचनाओं में एकरूपता, प्रतिनिधित्व के लिए न्यूनतम आवश्यकता और संवैधानिक स्पष्टता जैसे लाभ प्राप्त हुए।